

भूमि सुधार उपसमाहर्ता का न्यायालय, पोड़ाहाट, चक्रधरपुर।

आदेश-पत्रक

(देखें अभिलेख हस्तक 1941 के नियम 129)

आदेश पत्रक ता० से तक

केस का प्रकार TA Misc. Case No. 150/2019-20

आदेश पत्रक संख्या क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बाद टिप्पणी तारीख साथ												
श. 10.19	आवेदक/आवेदिका (1) गुलबदन मुन्डारी (2) कंचन मुन्डारी, दोनों के पिता- स्व० विनोद मुन्डारी, जाति- मुण्डा (अ.ज.जा.), ग्राम- डिम्बुली, थाना- मनोहरपुर, जिला प० सिंहभूम ने छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा 46(प)प्रोभिजो "ए"/"बी" के अन्तर्गत भूमि हस्तांतरण हेतु आवेदन पत्र दिया है। मौजा- टिकरचापी, थाना नं०- 75, थाना- चक्रधरपुर, खाता नं०- 40, खेसरा नं०- 223, रकवा- 0.04½ ए० क्रेता महेन्द्र बान्डरा, पिता- स्व० मुंगडू बान्डरा, जाति- हो (अ.ज.जा.), ग्राम- नन्दपुर, थाना- मनोहरपुर, जिला प० सिंहभूम के पास जमीन बक्री/भू-हस्तांतरण हेतु छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 46(1) प्रोभिजो "ए./बी." के अंतर्गत अनुमति हेतु आवेदन समर्पित किया है जमीन का विवरण है:- <table><tr><th>मौजा</th><th>थाना सं०</th><th>थाना</th><th>खाता सं०</th><th>खेसरा सं०</th><th>रकवा एकड़ में</th></tr><tr><td>डिम्बुली</td><td>86</td><td>मनोहरपुर</td><td>215</td><td>416</td><td>0.05 ए०</td></tr></table> आवेदक ईलाज एवं अन्य घरेलु कार्यों में बिक्री हेतु 50,000/- (पचास हजार) रुपये की आवश्यकता होने के कारण आवेदित भूमि का कुल रकवा 0.05 ए० को कुल कीमत 50,000/- (पचास हजार) रुपये मात्र में छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 46(1) प्रोभिजो "ए./बी." के अंतर्गत बिक्री करना चाहते हैं। आम सूचना निर्गत करें और अंचल अधिकारी मनोहरपुर से अपना जाँच प्रतिवेदन स्पष्ट मंतव्य सहित दिनांक 18.11.19 तक मांग करें। अभिलेख दिनांक 18.11.19 को उपस्थापित करें।	मौजा	थाना सं०	थाना	खाता सं०	खेसरा सं०	रकवा एकड़ में	डिम्बुली	86	मनोहरपुर	215	416	0.05 ए०	
मौजा	थाना सं०	थाना	खाता सं०	खेसरा सं०	रकवा एकड़ में									
डिम्बुली	86	मनोहरपुर	215	416	0.05 ए०									
		भूमि सुधार उपसमाहर्ता, पोड़ाहाट, चक्रधरपुर।												

31.10.19
भूमि सुधार उपसमाहर्ता,
पोड़ाहाट, चक्रधरपुर।